



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271504
CG-DL-E-02042026-271504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1622]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1622]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1687(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़-अयोध्या खंड पर नव प्रस्तावित हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के किमी 148.300 किमी से 56.000 किमी, जिसे निर्दिष्ट किया जाता है तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने/छःलेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़-अयोध्या खंड पर नव प्रस्तावित हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के किमी 148.300 किमी से 56.000 किमी, जिसे निर्दिष्ट किया जाता है, तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य का 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सुल्तानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी 78.5 से कि.मी 118.3 तक	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	सदर	1 हसनपुर 2 आरडीह

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2025/PIU-Ayodhy]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1687(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 148.300 to Km. 56.000 of the High Speed Access Controlled Greenfield Corridor of Proposed Pratapgarh-Ayodhya in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition from Km. 148.300 to Km. 56.000 for Pratapgarh-Ayodhya High Speed Greenfield Access Controlled Corridor in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM, (F&R), Sultanpur	Newly Proposed KM 78.5 TO KM 118.3	UTTAR PRADESH	SULTANPUR	Sadar	1 Hasanpur 2 Aardih

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2025/PIU-Ayodhy]

SHAIKH AMINKHAN, Director